

**:: आदेश ::**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में राजस्व विभाग, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भूलेख अनुभाग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित राजस्व सेवकों का स्थानान्तरण उनके नाम में सम्मुख अंकित राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील में निम्नानुसार किया जाता है :-

**धारा-6 (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण ;**

क्र० सं०	राजस्व सेवक का नाम	वर्तमान तैनाती क्षेत्र/तहसील	नव तैनाती राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील	अभ्युक्ति
1	श्रीमती विनीता नौटियाल	फकोट/नरेन्द्रनगर	भटगांव/बालगंगा	
2	श्रीमती सुशीला देवी	ललथपाटौं/सम्बद्ध तहसील कार्यालय देवप्रयाग	रिंगोली/कीर्तिनगर	

**धारा-6 (ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण ;**

क्र० सं०	राजस्व सेवक का नाम	वर्तमान तैनाती क्षेत्र/तहसील	नव तैनाती राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील	अभ्युक्ति
1	श्री रघुवीर सिंह कठैत	रिंगोली/कीर्तिनगर	फकोट/नरेन्द्रनगर	
2	श्री मंगल लाल	भटगांव/बालगंगा	ललथपाटौं/देवप्रयाग	

1. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 (1) के अनुसार आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित कार्मिक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित नहीं करेंगे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य "कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time)" का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि (Journey time)" का ही उपभोग कर सकेंगे।

2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक:-22.06.2019

ह०/-  
( सोनिका )  
जिला अधिकारी,  
टिहरी गढ़वाल।

क्रमश :- 2

कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।

संख्या- 1659 / सात-142 (2016-2017) दिनांक, नई टिहरी, जून, 25, 2019.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति उत्तराखण्ड की वेबसाइट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
2. समस्त उप जिलाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. समस्त तहसीलदार, टिहरी गढ़वाल/नायब तहसीलदार, पावकी देवी।
5. कोषाधिकारी, नरेन्द्रनगर, उप कोषाधिकारी, घनसाली/देवप्रयाग।
6. सम्बन्धित कार्मिक।

BWEL

अपर जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

9/6